HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए एक अभियुक्त को 04 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 27.01.2025 को मा0 न्यायालय के द्वारा "छेड़छाड़ एवं धमकी देने" के अभियोग में 01 अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 25.05.2009 को थाना हापुड़ देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त हिमांशु पुत्र ऋषिपाल निवासी न्यू पन्नापुरी थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ को छेड़छाड़ एवं धमकी देने के अभियोग में गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मु0अ0सं0 161/2009 धारा 354, 363, 506 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 25.05.2009 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 27.01.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 04 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री घनश्याम (एस.पी.ओ.) व विवेचक उ0नि0 श्री मान सिंह एवं पैरोकार का0 विजय कुमार व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 अमित कुमार का विशेष योगदान रहा।